पत्रांक – वि० प्रा० (III) ब³–12 / 2016

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक,

सुशांत झा,
विशेष सचिव,

सेवा में,

प्राचार्य,
शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम

पटना, दिनांक–..............

विषय – वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के 'मुख्यशीर्ष'–2203 –तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00– लघुशीर्ष–112 इंजी०/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0001– स्नातक एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम'' जिसका विपत्र कोड–43–2203001120001 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–662 दिनांक–20.02.2019 के द्वारा विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक डेहरी–ऑन–सोन में संचालित शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम के छात्र/छात्राओं को शहर के प्रमुख स्थान से संस्थान तक एक बार जाने एवं आने के लिए दो बसों के परिचालन हेतु कुल रू० 18,89,000=00 (अठारह लाख नवासी हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान विषयशीर्ष में उपबंधित राशि में कुल रू० 18,89,000=00 (अठारह लाख नवासी हजार रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि. (2), दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–6903 दिनांक–13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उसे यथाशीध्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/ मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि माहालेखाकर, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि.(2), दिनांक–29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

6. टी. भी. नं. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

(सुशांत झा),
विशेष सचिव,

ज्ञापांक– वि० प्रा० (III) ब^{3}–12/2016 /पटना, दिनांक –
प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव (व्यय) वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव,

ज्ञापांक–वि० प्रा० (III) ब^{3}–12/2016 /पटना, दिनांक –
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव,

ज्ञापांक–वि० प्रा० (III) ब^{3}–12/2016 143(अ) **/पटना, दिनांक –** 14-3-2019
प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो०)/योजना सहायक/आई०टी० मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/19

विशेष सचिव,

सतोष/26.02.19